



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26242

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1730/2026

सुखसेन यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: किरण रानी, लालू यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., राजेश त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लालू यादव और प्रत्यर्थी(गण) के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश त्रिपाठी को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने सीएपीएफ, एसएसएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन तथा एनसीबी परीक्षा 2025 में सिपाही के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0176/2023, धारा 147, 323, 504, 506, 325 आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला लंबित है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, तथापि आदेश दिनांक 24.01.2026 के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को 09.02.2026 को कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की गई है।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थी को पद पर कार्यभार ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न न करने हेतु निर्देश देने के लिए है।
4. कमांडेंट के हस्ताक्षर युक्त निर्देश दिनांक 05.02.2026 अग्रेषित किए गए हैं, जिसके अनुसार रिट याचिकाकर्ता को 09.02.2026 को कार्यभार ग्रहण करना है और उसके बाद उनका मामला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।
5. प्रत्यर्थी(गण) के उक्त रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता को 09.02.2026 को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने और उसके बाद रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी(गण) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और तत्पश्चात प्रत्यर्थी उस संबंध में परिणामी आदेश पारित करेंगे, के निर्देश के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और इसे परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"